कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 308 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, जुलाई 17 2019

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि के लीज का नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के संबंध म

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्रांक–2869 / रेनु0 / 15–38 दिनांक 13.02.2019, पत्रांक 3238/दिनांक 01-05-2019 एवं पत्रांक 6346/रेनु0/15-38 दि0 12-6-2019.

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि भारत सरकार के आदेश संख्या– 8–350 / 87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 तथा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–3 के आदेश संख्या– एल0 590 / 14–3–1989 लखनऊ दिनांक– 22.12.1989 तथा पत्र संख्या– 5343 / 14–2–93–944 / 1987 द्वारा 11 शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । उत्तर प्रदेश शासन के उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के अनुसार लीज की अवधि (30 वर्ष) दिनांक– 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है । प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा जिसकी ऑन लाईन प्रास्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017 है। उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अंकित मुख्य शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :–

क्रम संख्या	उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अंकित शर्त संख्या / विवरण	अनुपालन आख्या
1	**शर्त संख्या– 8(ब)** " नार्दन कोल फील्डस लि0 से भूमि के प्रीमियम अर्थात रू0 2,32,300 /– का 10 % लीज रेंट प्रतिवर्ष लिया जाय, और चूँकि प्रश्नगत वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि हरदोई में उपलब्ध कराई जा रही है, इसलिए भूमि का मूल्य नही लिया जायेगा" ।	रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत ग्राम–ककरी में नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को भारत सरकार के आदेश संख्या– 8–350 / 87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 तथा इसके क्रम में संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598 / 14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 तथा पत्र संख्या– 5343 / 14–2–93–944 / 1987वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 185.84 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के शर्त संख्या– 8(ब) में यह उल्लिखित है कि ," नार्दन कोल फील्डस लि0 से भूमि के प्रीमियम अर्थात रू0 2,32,300 /– का 10 % लीज रेंट प्रतिवर्ष लिया जाय और चूँकि प्रश्नगत वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि हरदोई में उपलब्ध कराई जा रही है , इसलिए भूमि का मूल्य नही लिया जायेगा " । उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 के अनुपालन में नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा वर्ष वर्ष 1989–90 से 2011–12 तक निर्धारित लीज रेंट की धनराशि रू0 23230 /– प्रति वर्ष की दर से रेनुकूट वन प्रभाग में जमा किया गया तथा वर्ष 2012–13 से अब तक लीज रेंट की धनराशि जमा नही किया गया। यहाँ यह उल्लेख करना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं को वन भूमि लीज पर हस्तान्तरित की गयी है। हस्तान्तरित वन भूमि का लीज रेंट न जमा करना पड़े इस हेतु एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या– 50320 / 2010 (एन0सी0एल0 बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य) दाखिल किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवायी दिनांक– 16.01.2013 को की गयी और वन विभाग के विरुद्ध निर्णय आदेश पारित किया गया । उक्त

		आदेश दिनांक— 16.01.2013 के विरूद्ध वन विभाग उ0प्र0 सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या— 22793/2013 (उ0प्र0राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल फील्ड्स लि0) दाखिल किया गया है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । **उपरोक्तानुसार नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा उ0प्र0 सरकार के उक्त आदेश दिनांक— 22.12.1989 के शर्त संख्या— 8(ब) का उल्लंघन किया गया है ।**
2	**शर्त संख्या—10** इस प्राजेक्ट हेतु हरदोई जनपद में 189.839 हेक्टेयर गैर वानिकी भूमि का चिन्हीकरण किया गया है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई से इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद होकर भूमि का स्वामित्व अभिलेखो एवं मौको पर वन विभाग को उपलब्ध करवा दिया गया है । यह भी पुष्टि करवा ली जाय कि इस भूमि पर क्षतिपूरक रोपवन हेतु आवश्यक धनराशि मेसर्स नार्दन कोल फील्ड से प्राप्त कर ली गई है । प्राप्त धनराशि नार्दन कोल फील्डस से वृक्षारोपण रखरखाव हेतु एक मुष्त प्राप्त कर ली जाय । इसके पश्चात प्रभागीय निदेशक हरदोई का उत्तरदायित्व होगा कि वे वृक्षारोपण कर उसका रख रखाव करें ।	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई को 189.839 हे0 गैर वन भूमि एवं उस पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग हरदोई द्वारा प्रश्नगत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराते हुए उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा—29 के अन्तर्गत नोटिफिकेषन संख्या— 3185/14—2—91 /97/1991 दिनांक— 06.12.1991 संरक्षित वन घोषित कराया जा चुका है । पुष्टि हेतु प्रभगीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग , हरदोई का पत्र संख्या—566 दिनांक— 04.08.1992 व पत्रांक— 3975 दिनांक— 08.04.1994 की छाया प्रति नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 21 व 22 पर संलग्न है ।

उक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि **नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा—4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा—सोनभद्र को वनेत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गयी है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 का उल्लंघन है ।** इस संबंध में प्रभागीय कार्यालय के पत्र संख्या— 4704/रेनुकूट/12 बैठक दिनांक— 10.06.2013 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या— 6473/मीरजापुर/33 दिनांक— 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या— 1571/11—सी दिनांक— 30.01.2014 द्वारा प्रकरण प्रमुख सचिव (वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग—2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है । उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लंधन को संज्ञानित करते हुए विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव संस्तुति सहित चार प्रतियों मे इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार उल्लंघन को संज्ञानित होते हुए प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में ।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या— 308 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17.07.15

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग--III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

11	क्या वह स्थल जहाँ का वन क्षेत्र इसमें शामिल है का संबंधित वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है(हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और प्रेक्षण जो निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए है को संलग्न करें ।	नहीं।
12	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग--ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक की सिफारिशो से सहमत है ।	हाँ।
13	विस्तृत कारणो के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें ।	प्रभागीय वनाधिकारी रेणुकूट द्वारा भाग-2 के उल्लेखित के आलोक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
मिर्जापुर क्षेत्र
मीरजापुर

तारीख -- 16.07.2019
स्थान-- मीरजापुर

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर